फा. संख्या ओ-12011/02/2019-सी.डब्ल्यू.एफ.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

***

विषय :- वर्ष 2019 के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव मंगवाना [परियोजनाओं के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) हेतु आमंत्रण]

उपभोक्ताओं के कल्याण का संरक्षण और संवर्धन करने वाली तथा देश में उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने वाली परियोजनाओं और कार्यकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा, 'उपभोक्ता कल्याण कोष (सी.डब्ल्यू.एफ.)' को प्रशासित किया जाता है।

2. ऐसे पात्र आवेदकों, जो ऑनलाइन प्रपत्र में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के कार्यकलापों में रत हों, 26.08.2019 से 25.08.2019 तक परियोजनाओं के लिए रुचि की अभिव्यक्ति 'ऑनलाइन' आमंत्रित की जाती है।

3. केवल उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जाएगा जो केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (चौथा संशोधन) नियमावली, 2018 के नियम 97 में यथाप्राविधानित 'आवेदक' की परिभाषा में आते हैं और संदर्भित नियमावली तथा उपभोक्ता कल्याण कोष दिशा-निर्देश 2019 (वेबसाइट : http://jagograhakjago.gov.in/cwf) पर उपलब्ध) के तहत अपेक्षताओं को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, निधियन हेतु आवेदन करने के इच्छुक स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों/ निजी संस्थानों को सबसे पहले एन.जी.ओ. – दर्पण पोर्टल (वेबसाइट http://ngodarpan.gov.in) पर वैध रूप से पंजीकृत होना चाहिए। परियोजना के प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त हुए अथवा अधूरे प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा। इस रुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक को दो प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। विभाग में दस्तावेजी रूप में भेजे गए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

जया कनन

(जयलक्ष्मी कनन्न)

अवर सचिव (सी.डब्ल्यू.एफ.)